



सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय (निवारक)
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (PREVENTIVE)
नं 1, विल्लियम्स रोड, कन्टोनमेंट, तिरुच्चिराप्पल्लि-620 001
NO.1 WILLIAMS ROAD, CANTONMENT, TIRUCHIRAPPALLI- 620 001
दूरभाष / फ़ैक्स: 0431-2418819::E-mail: cuspoltry@gmail.com

C. No. VIII/09/01/2019-सीशु नीति

दिनांक: 05.03.2019

सार्वजनिक सूचना सं. 02/2019

विषय : सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 के अंतर्गत नासिन, फरीदाबाद द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा - के बारे में ।

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 8/2019-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 06.02.2019 के तहत राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी को उक्त परीक्षा को सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 के अंतर्गत आयोजित करने के लिए अधिकृत किया गया है । यह परीक्षा 15.03.2019 को पूरे भारत में नामित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी । यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारूप (MCQs) की 3 घंटे (10.30 -13.30) की अवधि की होगी /परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा एवं परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम 180 अंक प्राप्त करने होंगे । कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा । परीक्षा का पाठ्यक्रम सीमा शुल्क ब्रोकर्स लाइसेंसिंग विनियम, 2018 के विनियम 6 (7) में यथानिर्धारित है । उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनेवालों को उक्त विनियम के विनियम 6 के संदर्भ में मौखिक परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा ।

उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एक प्रतिरूपी प्रश्न पत्र 20 फरवरी 2019 से <GSTP/CBLRपरीक्षा> आइकन/टैब में सीबीआईसी और नासिन वेबसाइटों पर उपलब्ध करवाया जाएगा । एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हेतु एक लिंक भी उसमें प्रदान किया जाएगा । परीक्षा की तारीख से 15 दिन पहले आवेदकों को ईमेल द्वारा एडमिट कार्ड भी भेजे जाएंगे । उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, अन्य आवश्यक विवरण जैसे केंद्रों की सूची, उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश, हेल्प डेस्क ईमेल आइडी आदि को उक्त आइकन/टैब के तहत उपलब्ध कराया जाएगा ।

सभी पात्र उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे प्रतिरूपी/अभ्यास प्रश्न पत्र को लॉगइन करके

एक्सेस करें और कोई भी समस्या होने पर हेल्पलाइन cbire.help@cbire.gov.in पर तत्काल रिपोर्ट करें ।

अशोक

(अशोक)

o/c प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि प्रस्तुत: मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क (निवारक), तिरुच्चि ।

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. ईडीआइ अनुभाग, मुख्यालय, तिरुच्चि (तिरुच्चि सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित (<http://customstrichy.gov.in>)
2. हिन्दी कक्ष(अनुवाद हेतु)
3. डाक सूची के अनुसार
4. नोटिस बोर्ड ।